राजस्व वाद /2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
मुगनाराम बनाम् रामचन्द्र वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 219/2021

वादीगण–

1. मुगनाराम पुत्र रामचन्द्र

   जाति–जाट निवासी–राजोद ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामचन्द्र पुत्र लुणाराम
2. वस्तीराम पुत्र रामचन्द्र
3. जगदीश पुत्र रामचन्द्र
4. रमकू पुत्री रामचन्द्र
5. सरजू पुत्री रामचन्द्र

   जातियान– जाट निवासीगण–राजोद , तहसील जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 14/10/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा राजोद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1195/775 रकबा 0.2023 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय, खसरा नंबर 1447/211 रकबा 0.1214 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नंबर 1448/211 रकबा 7.0334 हैक्टेयर, खसरा नंबर 747/1 रकबा 1.0684 हैक्टैयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादी ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2065 में वाद पत्र

14/10/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

के पैरा संख्या 2 (क व ग) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी मुगनाराम व प्रतिवादी संख्या 2,3 बस्तीराम, जगदीश के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 1448/211 रकबा 7.0334 हैक्टेयर पूरा, व खसरा नंबर 747/1 रकबा 1.0684 रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 1195/775 रकबा 0.2023 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय, खसरा नंबर 1447/211 रकबा 0.1214 हैक्टैयर रखा गया है तथा अन्य पुश्तैनी खेताय ग्राम दुगोली में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो यथावत रखे गये हैं। प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 14.10.2021 को कैम्प कोर्ट राजोद में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेन्दा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 का स्वयं से उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह मुगनाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम राजोद तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 394 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को मापीक राजीनामा में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा राजोद के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 1448/211, 747/1 की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 के हक बंट में तथा मुतदाविया शेष खसरा 1195/775, 1447/211 की भूमि माफिक राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंट चाहा है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के मुतदाविया खेतायों में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 4 से 5 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इसलिये मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 1448/211, 747/1, 1195/775, 1447/211 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ माफिक राजीनामा अनुसार सहखातेदार घोषित कर हम वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 1448/211, 747/1, 1195/775, 1447/211 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ माफिक राजीनामा अनुसार सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मुगनाराम व प्रतिवादी संख्या 2,3 बस्तीराम, जगदीश के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 1448/211 रकबा 7.0334 हैक्टेयर पूरा, व खसरा नंबर 747/1 रकबा 1.0684 रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 1195/775 रकबा 0.2023 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय, खसरा नंबर 1447/211 रकबा 0.1214 हैक्टैयर रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 4 से 5 रमकू व सरजू के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है।

नोट— प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 15/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

15/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद /2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
मुगनाराम वनाम् रामचन्द्र वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 213/2021

वादीगण–

1. मुगनाराम पुत्र रामचन्द्र, जाति–जाट निवासी–राजोद ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामचन्द्र पुत्र लुणाराम
2. बस्तीराम पुत्र रामचन्द्र
3. जगदीश पुत्र रामचन्द्र
4. रमकू पुत्री रामचन्द्र
5. सरजू पुत्री रामचन्द्र, जातियान– जाट निवासीगण–राजोद , तहसील जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 1448/211, 747/1, 1195/775, 1447/211 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ माफिक राजीनामा अनुसार सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

14/10/2021

Scanned with CamScanner

1. वादी मुगनाराम व प्रतिवादी संख्या 2,3 वस्तीराम, जगदीश के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 1448/211 रकबा 7.0334 हैक्टेयर पूरा, व खसरा नंबर 747/1 रकबा 1.0684 रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 1195/775 रकबा 0.2023 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय, खसरा नंबर 1447/211 रकबा 0.1214 हैक्टैयर रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 4 से 5 रमकू व सरजू के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है।

नोट– प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
वावत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner